lkekU; 'krsZ ,oa fn'kk&funsZ'k &

1. नियुक्ति संविदा आधार पर दिनांक 31 मार्च 2011 तक के लिए की जावेगी।
2. संविदा सेवा के दौरान संबंधित की सेवा अवधि में प्रतिमाह एक मुश्त राशि देय होगी, इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा नहीं दिया जावेगा।
3. सभी पदो के लिये आवेदन, lapkyd] jkT; LokLF; lalk/ku dsUnz] cw<kikjk] fctyh vkfQl ds ikl] dkyhckMh] jk;iqj] N-x. के नाम भेजा जाना होगा ।
4. आवेदन पत्र विभाग को प्राप्त होने की vfUre frfFk 20 vxLr 2009] dk;kZy;hu le; lk; 5-30 cts rd gS किसी भी कारण से विलंब से प्राप्त आवेदनो पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा एवं विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदनों के संबंध में कोई पत्राचार संबंधित से नहीं किया जावेगा।
5. आवेदक आवेदन पत्र डाक अथवा कोरियर द्वारा ही जमा कर सकेगें सीधे कार्यालय में प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
6. आवेदक को लिफाफे के उपर जिस पद के लिये वह आवेदन कर रहा है उसका पद कोड संख्या, आवेदित पद का नाम एवं आवेदक की जाति/वर्ग का उल्लेख करना अनिवार्य होगा ।
7. fcUnq dzekad 06 ls 15 ij उल्लेखित पदो के लिये वे ही आवेदक पात्र होगें जो छ.ग. का मूल निवासी है, एवं छ.ग. मूल निवासी प्रमाण–पत्र सक्षम आधिकारी स्तर से जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
8. आवेदन के साथ लगाये जाने वाले समस्त प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज सक्षम अधिकारी (राजपत्रित अधिकारी) द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए ।
9. बिन्दु क्र. 01 से 05 पर उल्लेखित पदों के लिए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार या साक्षात्कार लेने संबंधी निर्णय प्राप्त आवेदनों के आधार चयन समिति को होगा।
10. बिन्दु कमांक 06 से 15 पर उल्लेखित पदो के लिये लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं कम्प्यूटर योग्यता संबंधी परीक्षा लिया जोवेगा जिसमें प्राप्त अंको के आधार पर ही अन्तिम चयन किया जावेगा।
11. पद कमांक 11 में वर्णित पद पर विकासखण्ड में नियुक्त होने पर उम्मीदवार को लेखा कार्य सहित डाटा संबंधी कार्य भी संपादित करना होना ।
12. यदि आवेदक एक से अधिक पद के लिए अर्हता रखते हुए आवेदन करना चाहता हो तो प्रत्येक पत्र हेतु पृथक–पृथक लिफाफे में आवेदन करना होगा।
13. आरक्षित वर्ग के पदो के लिये संबंधित को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के हस्ताक्षर व पद मुद्रा से जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
14. आवेदन पत्र अपूर्ण/अस्पष्ट/त्रुटिपूर्ण अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने पर आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।
15. बिन्दु कमांक 06 से 15 के पद हेतु संबंधित आवेदक का छ.ग. राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा साथ ही समस्त पदों हेतु छ.ग. शासन की, राज्य हेतु लागू आरक्षण, 100 बिन्दु रोस्टर द्वारा किया गया है।
16. जिला एवं ब्लॉक स्तरीय पदों हेतु चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति काउंसलिंग के माध्यम से की जावेगी।
17. किसी भी पद की संख्या में परिवर्तन का अधिकार राज्य स्वास्थ्य समिति को होगा।
18. यदि प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक होगी तो वांछित न्यूनतम योग्यता के आधार पर वर्गवार प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी तथा प्रावीण्य सूची के आधार पर साक्षात्कार में बुलाये जाने वाले की संख्या को सीमित करने का अधिकार चयन समिति को होगा।
19. चयन प्रकियाओं के संबंध में अन्तिम निर्णय का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा जो सर्वमान्य होगा ।
20. आवेदकों को लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु स्वंय के व्यय आना होगा, इसके लिए किसी भी प्रकार का दावा/क्लेम मान्य नहीं होगा।
21. अन्य शर्ते व जानकारी वेबसाईट www.cghealth.nic.in पर देखी जा सकती है।
22. आयु सीमा :–
    बिन्दु क्रमांक 1 से 5 हेतु कोई आयु सीमा नहीं एवं बिन्दु क्र. 6 से 15 हेतु आयु सीमा छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक.एफ–9–1/2004/1/3, दिनांक 28.07.2004 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2004 के अधीन होगी एवं अ.जा/अज.जा./अ.पि.वि./महिला उम्मीदवारों को राज्य शासन अधिसूचित निर्देशानुसार आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी।
23. चयनित किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों का कार्य संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में एक माह का अग्रिम नोटिस या एक माह का वेतन देकर किसी भी समय सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
24. भर्ती की प्रकिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा जो सभी आवेदकों को मान्य करने के लिए बंधनकारी होगा।

fe'ku lapkyd
jk"Vªh; xzkeh.k LokLF; fe'ku
रायपुर, छ.ग.